[2010] 6 एस.सी.आर. 161

नंद किशोर ओझा

बनाम

अंजनी कुमार सिंह

2004 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 22882

में

(2007 की अवमानना याचिका (दीवानी) सं. 297)

12 मई, 2010

[अलतमस कबीर और एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्तिगण]

न्यायालय की अवमानना:

न्यायालय के समक्ष दिए गए वचनबंध का उल्लंघन – प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रिक्त पदों को राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करके भरने के लिए बिहार राज्य द्वारा दिए गए वचनबंध के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.1.2006 और दिनांक 9.12.2009 के आदेश – वचनबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिका – राज्य का पक्ष कि राज्य द्वारा दिए गए वचनबंध और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाए गए हैं – ***अभिनिर्धारित****: न्यायालय का आशय कभी यह नहीं था कि विज्ञापनों की शर्तें, जिन्हें उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, उनका राज्य सरकार द्वारा अनुसरण किया जाए – विज्ञापन का संदर्भ केवल प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरे जाने के लिए आवश्यक रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से दिया गया था – यह स्पष्ट किया गया था कि सभी 34,540 पदों को वरिष्ठता क्रम में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ भरे जाने थे – आरक्षित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पदों को खाली रखने का प्रश्न न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.2009 को पारित आदेश में कभी भी मानदंड नहीं था – जिसका*

आशय यह था कि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या को समायोजित करने के बाद, बाकी पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से भरा जाना था – यह एक बार फिर निर्देशित किया जाता है कि उक्त 34,540 पदों, जो सृजित किए गए हैं, पिछली आदेशों में इंगित किए गए एकमुश्त उपाय के रूप में और साथ ही राज्य सरकार की ओर से अभिपुष्ट अतिरिक्त हलफनामे में उल्लेखित, आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति का प्रावधान करने के बाद, वरिष्ठता क्रम में प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरे जाएं – अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए मामला स्थगित – बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2010 – सेवा विधि – प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति।

2004 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 22882

में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की अवमानना याचिका (दीवानी) सं. 297

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2004 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 13246, 6661, 2003, 1533, 1788, 1789, 1861 और 5053 के दिनांक 01.07.2004 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता के लिए: परमजीत सिंह पटवालिया, रमेश पी. भट्ट, राकेश उत्तमचंद्र उपाध्याय, अभिजीत काकोटी, अंकुर पांडा, बृज भूषण, सुनील कुमार, चंदन राममूर्ति, धरम बीर राज वोहरा, के.एन. राय, डी. किशोर, एस.एन. रॉय, के. कुमार, लक्ष्मी रमन सिंह, एम.पी. झा, राम इकबाल रॉय, हर्षवर्धन झा, सैयद अली अहमद, सैयद तनवीर अहमद, मो. शाहनवाज हसन, एस.एस. बंद्योपाध्याय, मोहन पांडे, एस.के. सभरवाल, श्री पाल सिंह, एम.के. माइकल, अमुकेश वर्मा, आफताब आलम, पवन शुक्ला, यश पाल ढींगरा, रेवती राघवन, रामजी प्रसाद, ई.सी. विद्या सागर, डी.के. ठाकुर, डी. झा, देबासिस मिश्रा, बरुण कृष्ण सिन्हा, प्रतिभा सिन्हा, बी.के. सतीजा, प्रशांत चौधरी, सुभ्रो सान्याल, कुमुद लता दास, अंभोज कुमार सिन्हा, शेखर प्रीत झा, अभिजीत सेनगुप्ता, कन्हैया प्रियदर्शी, अजय कुमार, संजीव कुमार,

जितेंद्र पांडे, वेंकटेश्वरा राव अनुमोलु, पी.वी. योगेश्वरन, प्रणीत रंजन, शशि भूषण कुमार, गौरव अग्रवाल जितेंद्र कुमार, अमित पवन, विकास वर्मा, देवाशीष भरुका, संतोष कुमार, मिलिंद कुमार, संतोष कुमार त्रिपाठी, अरूप बनर्जी, राजीव कुमार, आर.के. प्रसाद, अभिषेक अत्रे, मिथिलेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र किशोर, मोहित कुमार शाह, चंदन कुमार, जी.वी. राव, अशोक कृष्ण उपाध्याय, पी.एन. झा, उमेश कुमार, इमरान खान, फिरसत अली, राम स्वरूप शर्मा। ए

उत्तरदाता के लिए: पी.के. शाही, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, एल. नागेश्वर राव, संतोष कुमार, राजीव कटियार, सचिदा नंद सिंह, मुश्ताक अहमद, आर.के. रंजन, अनिलेंद्र पांडे, प्रिया कश्यप, डॉ. कैलाश चंद, प्रेम सुंदर झा, एस.के. सिन्हा, स्वयं उपस्थित, ध्रुव कुमार झा, बिजन कुमार घोष, शालिनी चंद्र, स्वाति चंद्र, अनिल कुमार तंदाले, सुब्रमणियम प्रसाद, विश्वजीत सिंह रतन कुमार चौधरी, अक्षय शुक्ला, दिनेश कृष्ण तिवारी, सी.पी. यादव, सैयद मो. रफी, वी.एस. मिश्रा, एन.एन. झा, मोनिका कालरा, राम इकबाल रॉय, रामेश्वर प्रसाद गोयल, टी. महिपाल, प्रताप शंकर, स्वेतांक शांतनु, अनिरुद्ध पी. मायी, एम.एम. सिंह धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विष्णु शर्मा, अनुपमा शर्मा, अमरज्योति शर्मा, डी प्रकाश कुमार सिंह, सुनील कुमार वर्मा, युगुल किशोर प्रसाद, बिपिन कुमार झा, बी.एस. राजेश अग्रजीत, श्रीधर पोताराजू, डी. जूलियस रियामी, गाइचांगपाउ गांगमेई, अभय कुमार, अरुणा गुप्ता, राजीव शंकर द्विवेदी।

न्यायालय का आदेश सुनाया गया

आदेश

अलतमस कबीर, न्यायमूर्ति: 1. 9 दिसंबर, 2009 के हमारे आदेश में इंगित किए अनुसार, यह अवमानना याचिका 2004 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 22882-22888 में 18 जनवरी, 2006 को दिए गए एक वचनबंध और 23 जनवरी, 2006 को उसके आधार पर पारित आदेश की कथित उल्लंघन की पृष्ठभूमि रखती है। उक्त वचनबंध बिहार राज्य द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने

और भर्ती करने के प्रति की गई प्रतिबद्धता से संबंधित था। बिहार राज्य द्वारा दिया गया वचनबंध उस संदर्भ में है और इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"इस बीच, यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जाए। बिहार प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2003 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित आयु छूट देकर, विकेन्द्रीकृत तरीके से प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए नए भर्ती नियम विचाराधीन हैं।

बिहार शिक्षा संहिता के अध्याय 6 और 7 जो प्राच्य शिक्षा और छात्रावासों और मेसों से संबंधित हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित है, शिक्षकों की भर्ती करते समय।

यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि चूँकि राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों से कम होने की अपेक्षा है, उस हद तक चयन के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस बिहार लोक सेवा आयोग को एक संदर्भ आवश्यक नहीं हो सकता है, और इस माननीय न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के आदेश को इस संबंध में संशोधित किया जा सकता है।"

2. विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के लिए किया गया उक्त आवेदन, उसमें किए गए प्रस्तुतियों के आधार पर 23 जनवरी, 2006 को इस न्यायालय द्वारा निपटा दिया गया था।

3. तत्पश्चात्, जब बिहार राज्य अपनी प्रतिबद्धताओं और आश्वासनों का पालन करने में विफल रहा, तो याचिकाकर्ता, नंद किशोर ओझा ने 2006 की अवमानना याचिका 297 दायर की, जिसका 19 मार्च, 2007 को निम्नलिखित आदेश द्वारा निपटा दिया गया था;

"कि अब यह स्पष्ट वक्तव्य दिया गया है कि नियुक्ति में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और दिनांक 7.2.2007 के उपरोक्त हलफनामे की कंडिका 19 से 22 में भी स्पष्टीकरण दिया गया है, हम बिहार राज्य को प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करके राज्य द्वारा पहले और अब वर्तमान हलफनामे दिनांक 7.2.2007 द्वारा दिए गए वचनबंध को लागू करने का निर्देश देते हैं।"

4. एक बार फिर, वेतनमान वाली रिक्त स्वीकृत पदों पर सहायक शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने में राज्य सरकार की विफलता पर, सरकार द्वारा दिए गए वचनबंध और आश्वासनों के उल्लंघन में, वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई थी। समान रूप से स्थित प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए अवमानना याचिका में कई आवेदन किए गए थे। अन्ततः, विद्वान महान्यायवादी 25 अगस्त, 2009 को हमारे समक्ष उपस्थित हुए और हमें आश्वासन दिया कि बिहार राज्य का अपनी ओर से दिए गए वचनबंध से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वर्षों से स्थिति बदल गई थी, जब से वचनबंध दिया गया था और उस समय सोचा गया था उससे कहीं अधिक जटिल हो गई थी। चूँकि कोई व्यवहार्य समाधान सुझाया नहीं जा सका जो राज्य सरकार द्वारा दिए गए वचनबंध को संतुष्ट कर सके और साथ ही, उसे लागू करने में न्यूनतम मात्रा में बाधा उत्पन्न कर सके, इस न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन का संज्ञान लिया, जो दिसंबर, 2003 में प्रकाशित हुआ था और उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, कुल रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए जो 34,540 के रूप में दर्शाई गई थीं। पूरे मामले पर विराम लगाने के उद्देश्य से, हमने विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों से संबंधित आंकड़े को स्वीकार कर लिया उन प्रशिक्षित शिक्षकों के दावों को पूरा करने के लिए जो प्रासंगिक समय पर नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए उपलब्ध थे। तदनुसार, उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या के बावजूद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन में दर्शाई

गई उपलब्ध 34,540 रिक्तियों को उक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या के साथ एकमुश्त उपाय के रूप में भरा जाए ताकि 18 जनवरी, 2006 और 23 जनवरी, 2006 को दिए गए वचनबंध को प्रभावी किया जा सके। इस न्यायालय ने हमारे द्वारा पारित उक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए और याचिकाकर्ता और संबंधित अधिकारियों के बीच हुई चर्चाओं के परिणाम के बारे में अगली तारीख पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए अवमानना याचिका को स्थगित भी कर दिया।

5. उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, 6 मई, 2010 को मामले पर विचार किया गया, जब अवमाननाकर्ता, श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा अभिपुष्ट एक अतिरिक्त हलफनामा हमें दिखाया गया था। कथन करने वाले ने इंगित किया कि वह प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार थे, और उक्त हलफनामे की कंडिका 4 में उल्लेख किया गया था कि बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए 34,540 सहायक शिक्षकों के पद एकमुश्त उपाय के रूप में सृजित किए गए थे और भर्ती की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2010 को तैयार किया गया था और 2 फरवरी, 2010 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त आधार पर, यह अभिकथन किया गया था कि 34,540 सहायक शिक्षकों के पद सृजित करके, बिहार राज्य ने 9 दिसंबर, 2009 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का एकमुश्त उपाय के रूप में अनुपालन किया था।

6. बिहार राज्य के लिए माननीय महाधिवक्ता, श्री पी.के. शाही ने हमें बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2010 के संदर्भ में ले गए, जिसे एतद्पश्चात् "2010 नियमावली" के रूप में संदर्भित किया गया है, और बताया कि उसी को बिहार राज्य द्वारा दिए गए वचनबंधों और समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को प्रभावी करने के लिए बनाया गया था। विद्वान महाधिवक्ता ने इसलिए प्रस्तुत किया कि ऐसे अनुपालन के मद्देनजर, अवमानना कार्यवाही को समाप्त किया जाना चाहिए।

7. 2007 की अवमानना याचिका सं. 297 में याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित होते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आर.पी. भट्ट ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होगा कि 34,540 पदों के सृजन से, बिहार राज्य की ओर से दिए गए वचनबंधों और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का विधिवत अनुपालन किया गया था, वास्तव में, वही 2010 नियमावली के निर्माण के मद्देनजर, जो उक्त वचनबंधों का उल्लंघन थे और उनका अनुपालन नहीं थे, मामलों की सच्ची स्थिति को नहीं दर्शाते थे। विशेष रूप से, यह बताया गया कि उक्त नियमावली का नियम 4 यह प्रावधान करता है कि केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने 1 दिसंबर, 2003 तक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया था, ही आवेदन कर सकते थे, जो उन प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रभावी रूप से वंचित करता था जिन्होंने उसके बाद प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया था और जिन्हें प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 6 मई, 2010 के आदेश द्वारा कवर किए जाने का इरादा था। यह भी श्री भट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जिन शिक्षकों ने शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, उन्हें "प्रशिक्षण" की अभिव्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि नियम 2(iv) में प्रावधान है, यद्यपि उन्हें भी 6 मई, 2010 को पारित आदेश और पहले के आदेशों के तहत आना था।

8. विद्वान अधिवक्ता, श्री एल. नागेश्वर राव, जो कुछ विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए थे, ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त नियमावली के नियम 6 में आरक्षण का प्रावधान भी सामान्य श्रेणी के बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों को बाहर करने में परिणामित होगा, चूँकि यह अपेक्षित नहीं था कि आरक्षित पदों की कुल संख्या आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरी जाएगी। श्री राव ने यह भी बताया कि नियम 9 का प्रावधान भी याचिकाकर्ताओं के लिए पूर्वाग्रही था, जो अपनी नियुक्ति के बाद भी अपने वेतन का भुगतान तब तक नहीं करवाएंगे जब तक कि उनके प्रमाण पत्र को सही नहीं पाया जाता है। श्री राव ने प्रस्तुत किया कि ऐसी शर्त नियुक्त व्यक्तियों के वेतन का भुगतान करने में अनिश्चित देरी में परिणामित हो सकती है।

9. अन्य याचिकाकर्ताओं और उन उम्मीदवारों के लिए उपस्थित होने वाले कुछ अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने और जो अपने विभिन्न आवेदनों के आधार पर इन कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने के लिए अनुमत किए गए थे, श्री भट्ट और श्री राव द्वारा किए गए प्रस्तुतियों को प्रतिध्वनित किया। उन सभी ने एक स्वर में पुनरावृत्ति की है कि सभी 34,540 पदों को जो सृजित किए गए हैं, आरक्षण के बहाने पर किसी भी रिक्ति को छोड़े बिना भरा जाना होगा, जैसा कि बिहार राज्य के माननीय महाधिवक्ता, श्री शाही द्वारा वचनबंध दिया गया था।

10. हमने बिहार राज्य की ओर से दायर किए गए अनुपालन के हलफनामे के संबंध में संबंधित पक्षों की ओर से किए गए प्रस्तुतियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और 2010 नियमावली के संबंध में बिहार राज्य के माननीय महाधिवक्ता के प्रस्तुतियों पर भी विचार किया है।

11. जबकि हम इस तथ्य की सराहना करते हैं कि 2003 में प्रकाशित विज्ञापन में दर्शाए गए 34,540 पदों की संख्या को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा भरे जाने के लिए सृजित किया गया है, यह कहा जाना चाहिए कि यह हमारा इरादा कभी नहीं था कि विज्ञापन की शर्तों का, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, बिहार राज्य सरकार द्वारा पालन किया जाए। हमने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमने विज्ञापन का संदर्भ केवल उन रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से दिया था, जिन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरे जाने की आवश्यकता होगी। यह हमारा इरादा बहुत स्पष्ट रूप से था कि सभी 34,540 पदों को वरिष्ठता के क्रम में प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ भरा जाना था जो नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरक्षित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पदों को खाली रखने का प्रश्न 9 दिसंबर, 2009 को हमारे द्वारा पारित आदेश में कभी भी मानदंड नहीं था। हमें यह जोड़ना चाहिए कि हम एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को समायोजित नहीं किया जाना

चाहिए। हमारा इरादा यह था कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या को समायोजित करने के बाद, बाकी पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से भरा जाना था।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम एक बार फिर निर्देश देते हैं कि उक्त 34,540 पद, जो सृजित किए गए हैं, उन्हें आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति का प्रावधान करने के बाद हमारे पहले के आदेशों में इंगित किए अनुसार और बिहार राज्य की ओर से अभिपुष्ट अतिरिक्त हलफनामे में भी उल्लेखित, एकमुश्त उपाय के रूप में वरिष्ठता के क्रम में प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरे जाएं।

13. हम चाहेंगे कि बिहार राज्य द्वारा इस बात को सराहना की जाए कि इन निर्देशों का अनुपालन 31 अगस्त, 2010 तक, बिना किसी और देरी के, किया जाना चाहिए। अनुपालन प्रतिवेदन दायर करने के लिए यह मामला 8 सितंबर, 2010 को अपराह्न 3.30 बजे तक स्थगित रहे।

आर.पी. मामला स्थगित।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।